संख्या-65/2017/1512जे0/22-5-17-600(05)/2017

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 21जुलाई, 2017

विषय- नियुक्त/नामित गैर सरकारी जेल वीक्षकों (विजिटरों) की उपयोगिता का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने, रिक्त पद तथा संभावित रिक्ति के सापेक्ष संस्तुतियॉ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 द्वारा उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर 669 के अन्तर्गत गैर सरकारी जेल वीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है। व्यवस्थानुसार गैर सरकारी जेल वीक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता निम्नवत है:-

(क) वह दिवालिया, मानसिक रूप से विकृत या किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो,
(ख) वह विधान मण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करता हो,
(ग) उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही लम्बित न हो तथा उसकी आपराधिक या अवांछनीय पृष्ठभूमि न हो, अर्थात उसे सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष न ठहराया गया हो,
(घ) वह किसी ऐसी गितविधि में लिप्त न हो, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो,
(ङ) उसे जेल प्रबन्धन का समुचित ज्ञान हो,

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत आपके जनपद स्थित कारागार में विभिन्न तिथियों में गैर सरकारी जेल विजिटर नामित/नियुक्त किये गये हैं। इनकी नियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) के लिए होती है, यदि इसके पूर्व इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय। कृपया आपके जनपद की कारागार में नामित/नियुक्त गैर सरकारी जेल वीक्षकों को व्यापक जनहित में पुनर्विचार कर उनके कार्यकाल तक तैनात रखने अथवा हटाने हेतु संस्तुति शासन को दिनांक 31-07-2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के अतिरिक्त कृपया गैर सरकार जेल वीक्षकों के रिक्त पद तथा संभावित रिक्ति के सापेक्ष उक्त शासनादेश दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार परीक्षण कर संस्तुतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या-65/2015/1512जे(1)/22-5-17, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।